

आदेश

कोरोना वायरस (COVID 19) की वैश्विक महामारी के संक्रमण की वर्तमान स्थिति को मध्यनजर रखते हुए निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते हैं—

1. जिला मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा इस कार्यालय की पुर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोड़ा जायेगा।
2. इसी प्रकार समस्त ब्लॉक मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित इंसीडेंट कमाण्डर्स (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) की पुर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोड़ा जायेगा।

सभी जिला स्तरीय अधिकारियों एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना की जावे। उक्त निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(डॉ.जितेंद्र कुमार सोनी)  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

क्रमांक सम/1391-1411  
प्रतिलिपि—

दिनांक 16/04/2021

1. जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर/डीडवाना
3. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी \_\_\_\_\_

4. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिले की वेबसाईट [www.nagaur.rajasthan.gov.in](http://www.nagaur.rajasthan.gov.in) पर अपलोड किया जावे।

5. उपखण्ड मजिस्ट्रेट \_\_\_\_\_ समस्त

6. प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट नागौर
7. अतिरिक्त निजी सचिव, जिला कलक्टर, नागौर
8. निजी सहायक, अति.जिला कलक्टर, नागौर
9. संरक्षित पत्रावली



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर